

अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 22 - DEFENCE PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	1,88,00	33,40	-1,54,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			88,00
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	138203,12,00	142094,00,00	142092,66,14
पूरक	Supplementary	3890,88,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के प्रभारित भाग में, ₹ 3.00 लाख का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the grant, appropriation of ₹ 3.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

2. अनुदान के स्वीकृत हिस्से में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुए:-

2. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	13820312.00	14209400.00	14209266.14
पू.	S.	389088.00		

(I) “रक्षा – नौसेना – छुट्टी नकदीकरण” के अंतर्गत – फरवरी, 2024 में ₹377.25 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹41477.66 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹41854.91 लाख कर दिया गया। तथापि, अंतिम निपटान मामलों, मृत्यु मामलों और प्री-रिलीज मामलों की कम संख्या के कारण ₹3252.97 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) “रक्षा – वायु सेना – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” के अंतर्गत – ₹1147935.79 लाख के मूल प्रावधान को ₹142314.07 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1290249.86 कर दिया गया। जो, तथापि, पारिवारिक पेंशनभोगियों की संख्या में कमी के कारण ₹2329.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) “रक्षा –सेना-छुट्टी नकदीकरण” के अंतर्गत ₹96108.68 लाख की बचत (₹495398.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतिम निपटान मामलों, मृत्यु मामलों और प्री-रिलीज मामलों की कम संख्या के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत “रक्षा” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) “सेना – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” – ₹96055.65 लाख का अधिक व्यय (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹189219.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹11623702.80 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; तथा

(II) “नौसेना – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” – ₹3249.89 लाख का अधिक व्यय (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹31602.75 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹667722.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सेवानिवृत्त कर्मियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।

(I) Under “Defence – Navy – Leave Encashment” – the original provision of ₹41477.66 lakhs was augmented to ₹41854.91 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹377.25 lakhs in February, 2024. However, there was a saving of ₹3252.97 lakhs (including supplementary grant) – due to less number of final settlement cases, death cases and pre-release cases.

(II) Under “Defence – Air Force – Pension and other Retirement Benefits” – the original provision of ₹1147935.79 lakhs was augmented to ₹1290249.86 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹142314.07 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2329.44 lakhs - due to decrease in number of family pensioners.

(III) Under “Defence – Army – Leave Encashment” – saving of ₹96108.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹495398.20 lakhs) was due to less number of final settlement cases, death cases and pre-release cases.

3. The above savings were partly offset by excess under “Defence” under the following heads:-

(I) “Army – Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹96055.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11623702.80 lakhs including supplementary grant of ₹189219.00 lakhs obtained in February, 2024); and

(II) “Navy – Pension and other Retirement Benefits” - excess of ₹3249.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹667722.09 lakhs including supplementary grant of ₹31602.75 lakhs obtained in February, 2024).

Excess under the above two heads was due to more number of retirees.

(III) “वायु सेना – छुट्टी नकदीकरण” – ₹2324.66 लाख का अधिक व्यय (फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹24704.93 लाख सहित ₹87602.14 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतिम निपटान मामलों, मृत्यु मामलों, प्री-रिलीज मामलों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खाते में अधिक छुट्टियों की संख्या के कारण हुआ।

(III) “Air Force - Leave Encashment” - excess of ₹2324.66 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹87602.14 lakhs including supplementary grant of ₹24704.93 lakhs obtained in February, 2024) was due to more number of final settlement cases, death cases, pre-release cases and more leave at the credit of the retirees.
